

15.2.22 आज यह पत्रावली पार्टी द्वारा विद्वान्ता प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने पर पेश हुई। पार्टी द्वारा अपने मुकदमे को आगे नहीं चलाने व इसी तरह पर निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः पत्रावली वाले निस्तारण दि 12.3.22 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

12.03.22

आज यह पत्रावली लोक अदालत महवा में पेश हुई। पार्टी द्वारा दि 15.2.22 को प्रपत्र पेश किया गया कि यह अपने मुकदमे में कोई कार्यवाही करवाना नहीं चाहते हैं तथा प्रपत्र विद्वान्ता किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में मूल दवा विद्वान्ता हो चुका है। अतः पार्टी का प्रार्थना-पत्र बाबत विद्वान्ता किये जाने प्रपत्र का पत्रावली निवेदन का स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में कार्यवाही इसी तरह पर कानून (अरिण) की जाती है। पत्रावली केशल शुमार होकर नम्बर से करे हो।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत